संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल–4/2018/757 भोपाल, दिनांक 08/05/2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषय:– महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि में प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराये जानें बाबत ।

––00––

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3–10/2016 /1/3 दिनांक 01 नम्बर 2016 द्वारा महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि में प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराये जानें बाबत भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के पत्र क्रमांक 5–15/71/एम.पी दिनांक 05.10.1971 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 12 सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात महिला कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए चिकित्सकीय परीक्षण उपरान्त "अस्थाई" रूप से अयोग्य धोषित किया जाता रहा है।

इस संबध में सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन के दिनांक 01.11.2016 को जारी पत्र की प्रति का अवलोकन करें। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी गर्भवती महिलाओं को उन पदों पर पदस्थापना देने के लिए जहां विस्तृत प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो ,चिकित्सकीय परीक्षण में "अस्थाई" रूप से अयोग्य धोषित न किया जाए, परन्तु गर्भवती महिलायें जिन्हें ऐसे पदों कें विरूध्द नियुक्ति दी जा रही है, जहां उनके कर्तव्य की प्रकृति खतरों (**hazardous nature of duty**) से संबधित है जैसे पुलिस विभाग इत्यादि, तथा/अथवा उन्हें एक निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना है, उन परिस्थितियों में 12 सप्ताह की गर्भवती महिलाओं को पूर्वानुसार अस्थाई रूप से अयोग्य माना जावेगा ।

अतः उपरोक्त प्रावधान अनुसार उक्त परिपत्र की प्रति आपकी स्थापना के विशेषज्ञों/चिकित्सकों को उपलब्ध कराते हुये निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये।

K.K. Hansu

संचालक,(अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

पृक्रमांक/अस्पप्रशा/सेल–4/2018/758 भोपाल,दिनांक 08/05/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश ।
2. प्रभारी एम आई एस स्थानीय कार्यालय भोपाल म.प्र । विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।

संचालक,(अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3- 10/2016/1/3, भोपाल, दिनांक 01 नवम्बर, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकार, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः-महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि में प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने बाबत्

--0--

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के पत्र क्रमांक 5-15/71/एम0पी0, दिनांक 05/10/1971 द्वारा 12 सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात महिला कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये चिकित्सकीय परीक्षण उपरान्त "अस्थाई" रूप से अयोग्य घोषित किया गया है । इसी पत्र के अनुक्रम में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के पत्र क्रमांक सं. सं.स्वा.से./सं.चि.मं./78/10122 दिनांक 17/10/1978 द्वारा उपरोक्तानुसार निर्देश जारी किये गये है।

2/ इस संबंध में भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र क्रमांक 14034/4/84- ESTT (D), दिनांक 13/02/1985 को जारी निर्देश अनुसार अभ्यार्थियों को हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी गर्भवती महिलाओं को उन पदों पर पदस्थापना देने के लिए जहाँ विस्तृत प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो, चिकित्सकीय परीक्षण में "अस्थाई" रूप से अयोग्य घोषित न किया जाए, परन्तु गर्भवती महिलायें जिन्हे ऐसे पदों के विरूद्ध नियुक्ति दी जा रही है, जहाँ उनके कर्तव्य की प्रकृति खतरों (hazardous nature of duty) से संबंधित है -जैसे पुलिस विभाग इत्यादि, तथा/अथवा उन्हें एक निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना है, उन परिस्थितियों में 12 सप्ताह की गर्भवती महिलाओं को पूर्वानुसार अस्थाई रूप से अयोग्य माना जावेगा।

3/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिचित किया जाए।

(सी0बी0पड़वार)
उप सचिव
म0प्र0शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 3– 10/2016/1/3,   भोपाल, दिनांक 01 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रोफेशन एग्जामिशन बोर्ड, चयन भवन, मेन रोड न0–1 चिनार पार्क (ईस्ट)भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

उप सचिव
म0प्र0शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय अध्यक्ष, संभागीय चिकित्सा मण्डल एवं संयुक्त -संचालक -स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल - संभाग -भोपाल - म.प्र.

क्रमांक/सं.सं.स्वा.से./सं.चि.मं./78/ 10122 भोपाल, दिनांक 17-10-78

प्रति,

श्रीमान संचालक-चिकित्सा-सेवायें
भोपाल , मध्य प्रदेश

विषयः - गर्भवती महिला उम्मीदवार की प्रथम नियुक्ति पर स्वास्थ्य परीक्षण ।
संदर्भ :- आपका प.क्रमांक - ६/[illegible]/७८/२२८८, दि. [illegible]

इस संबंध में कृपया मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , भोपाल के प.क्रमांक 13219/549/17/मेडि-1 (एम.ई.) दिनांक 9-10-1975 का अवलोकन करें । इसमें यह निर्देशित किया गया है कि :-

" Instance have come to the notice of Government that female Candidates proceed on Maternity leave immediately or soon after their first appointment on the post of Demonstration etc.

As per F.R. 10-A, a medical Certificate of good health of the Govt Servant to appointed is required to be submitted within a month from the date of such appointment. In certain cases, this rule was not observed by the appointing authority.

Government desires that appointing authorities should ensure that instances such as those mentioned above do not occure."

परन्तु इसके साथ यह नहीं दर्शाया गया है कि गर्भावस्था के किस अवधि में महिला कर्मचारी को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना है ।

इस संबंध में भारत सरकार , स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, (स्वास्थ्य-विभाग) के पत्र क्रमांक 5-15/71-एम.पी., दिनांक 5-10-1971 के कंडिका 4 (ए) (VIII) के निर्देशानुसार 12 सप्ताह के गर्भावस्था के पश्चात महिला कर्मचारी अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित किया जाता है ।

अतः आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन के उपरि उल्लेखित पत्र के उद्देश्य को देखते हुये गर्भवती महिला कर्मचारी को स्वास्थ्य परीक्षण में अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित करने की अवधि निश्चित करना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे कि शासन को वित्तिय हानी न हो ।

कृपया इसे ~~प्राथमिकता दी जावे~~ ।

संयुक्त -संचालक -स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल संभाग भोपाल म. प्र.